सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–1431के / छः–सानिप्र–2008–200(15) / 2000

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
उत्तर प्रदेश।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग लखनऊ:दिनांक 11 अगस्त,2008

विषयः– न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 1984 के दंगा पीडितों को राहत प्रदान करने के लिये स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 1984 के दंगा पीडितों को राहत प्रदान करने के लिये स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के तहत लिये गये निर्णय के कम में कार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या–1317के / छः–सानिप्र–2006–200(15) / 2000, दिनांक 22.07.06 तथा शासनादेश संख्या–1372के / छः–सानिप्र–08–200(15) / 2000 दिनांक–30.07.2008 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. अवगत है कि भारत सरकार के पत्रांक–सं0यू013018 / 46 / 2005–दिल्ली–I (एनसी) दिनांक–16.01.2006 द्वारा स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के तहत राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 22.07.2006 द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के अन्तर्गत निम्नवत अनुग्रह राशि दिये जाने का प्राविधान किया है :–

1.	दंगें में प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नही) के परिवार को	रू0– 3,50,000 / –
2.	दंगें में स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नही)	रू0–1,25,000 / – में से राज्य सरकार पहले से भुगतान की गयी धनराशि को घटाकर किया जायेगा।

3.	क्षतिग्रस्त रिहायशी सम्पत्ति के लिए	पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में दी गई राशि का 10 गुना राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जायेगी।
4.	क्षतिग्रस्त बीमा रहित वाणिज्यिक/आद्यौगिक संपत्ति के लिए।	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वास्तव में दी गई राशि का 10 गुना राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जायेगी।
5.	जो दंगा प्रभावित राज्य से पलायन कर अन्य राज्यों में रह रहे हैं को पुनर्वास अनुदान	रु0 2.00 लाख प्रति परिवार

3. प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-4 में अ0शा0पत्र0सख्या-888के/सानिप्र/100(6)/99 दिनांक-28 जुलाई 1999 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, जिसके प्रस्तर-11 में शासनादेश संख्या एफ0ए-2-367/दस-92-100(30)डी/92-गृह पुलिस अनुभाग-12, दिनांक 21.12.92 के सिद्वान्तो के अनुरूप साम्प्रदायिक दंगों (Communal Riots) से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जान-माल की गम्भीर क्षति हुई है, उन्हें पुर्नवासित करने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है:-

(1)	दंगें में प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नही) के परिवार को	रू0 50,000/-
(2)	दंगें में स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं)	रू0 12,500/-
(3)	दंगें में अस्थायी रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को	रू0 2,500/-
(4)	दंगें में सघातिक चोट के परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति को जो ऊपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो	रू0 1,250/-
(5)	दंगें में चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/-
(6)	दंगें में मकान को हुई क्षति की स्थिति में	रू0 1,250/- से रू0 37,000/-
(7)	दंगें में जीविकोपार्जन सम्बन्धी वस्तुओं (जैसे- गाड़ी,नाव या बैल आदि) की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/-

4. उक्त शासनादेश दिनांक-21.12.1992 के प्रस्तर (1) को शासनादेश दिनांक-22.07.2006 द्वारा संशोधित करते हुये प्रत्येक मृतक के परिवार को रू0 3.5 लाख की एकमुश्त अनुग्रह राशि (राज्य सरकार द्वारा पहले से भुगतान की गयी राशि के अतिरिक्त होगी) भुगतान करने तथा प्रस्तर-(2) (3) तथा (4) को संशोधित करते हुये चोट के प्रत्येक मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान रूपये 1.25 लाख में से राज

GO 1984

सरकार द्वारा पहले से भुगतान की गयी राशि को घटाकर किये जाने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु सम्पत्ति की क्षति के संबंध में आर्थिक सहायता शासनादेश दिनांक–21.12.1992 के प्रस्तर (5) (6) (7) के अनुरूप ही प्रदान की जानी है।

अतः स्पष्ट है कि शासनादेश दिनांक–22.07.2006 प्रस्तर–(3) (4) में अंकित ''राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वास्तव में दी गई राशि' का आशय शासनादेश दिनांक–21.12.1992 के प्रस्तर (5) (6) (7) में अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से है।

5. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1372के/छः–सानिप्र–08–200(15)/2000 दिनांक–30.07.2008 द्वारा प्रश्नगत संदर्भित शासनादेश संख्या एफ0ए–2–367/दस–92–100(30) डी/92–गृह पुलिस अनुभाग–12, दिनांक 21.12.1992 के प्रस्तर–6 के अनुसार मकान को हुयी क्षति के संबंध में प्राविधानित अधिकतम धनराशि रू0 37,000/– की समान दर से आर्थिक सहायता वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. सूच्य है कि जनपद भ्रमण के दौरान दावों की समीक्षा तथा प्रतिकर अधिकारी से प्राप्त संस्तुतियो से .यह संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त शासनादेशों के अनुरूप सम्पित्ति की क्षति के संबंध में आख्या प्रतिकर अधिकारी को उपलब्ध न कराते हुये दावाकर्ता को पूर्व में दी गयी अहैतुक आर्थिक सहायता का 10 गुना कर पूर्व में दी गयी अहैतुक आर्थिक सहायता को घटाते हुये आख्या प्रेषित की जा रही है जिससे शासनादेशों में निहित मूल भावना के अनुरूप दंगा पीड़ितो को समुचित आर्थिक सहायता नही मिल पा रही है।

7. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे दंगा पीडित व्यक्तियों, जिनके सम्पत्ति/मकान आदि की गम्भीर क्षति हुई है, को आर्थिक सहायता शासनादेश संख्या एफ0ए–2–367/दस–92–100(30)डी/92–गृह पुलिस अनुभाग–12, दिनांक 21.12.92 तथा सपठित शासनादेश संख्या–1372के/छः–सानिप्र–08–200(15)/2000दिनांक–30.07.2008 में दिये गये दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक सहायता दिये जाने की आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>उदाहरण स्वरूप–</u> वर्ष 1984 के दंगे से प्रभावित X द्वारा अपनी क्षति के संबंध में एक दावा प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया जाता है कि दंगे में उसके आवासीय मकान जिसमे उसकी दुकान भी स्थित थी, दंगाईयो द्वारा लूटपाट करने के पश्चात आग लगा दी गयी, जिससे दुकान के सामान के साथ ही आवासीय मकान की सम्पिति भी नष्ट हो गयी एवं जल जाने के कारण मकान भी नष्ट हो गया। जिला प्रशासन द्वारा उसी समय रू–2000/– की आर्थिक सहायता भी प्रदान

की गयी है। कृपया नानावटी आयोग की संस्तुति के कम सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

तब दावा कर्ता X को दी जाने वाली सहायता निम्नवत निर्धारित की जायेगी :–

क्र	मदवार विवरण शासनादेश दिनांक 21.12.92 के अनुसार	शासनादेश दिनांक 21.12.92 तथा संपठित शासनादेश दिनांक–30.07.09 द्वारा अनुमन्य सहायता	नानावटी आयोग की संस्तुति के क्रम में देयता (पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में दी गई राशि का 10 गुना राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जायेगी।)
1	(5)दंगें में चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/–	रू0 50,000/–
2	(6)दंगें में मकान को हुई क्षति की स्थिति में	रू0 37,000/–	रू0 3,70,000/–
3	(7)दंगें में जीविकोपार्जन सम्बन्धी वस्तुओं (जैसे– गाड़ी, नाव या बैल आदि) की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/–	रू0 50,000/–
	कुल योग		रू0 4,49,000/–

दावा कर्ता X को दी जाने वाली सहायता राशि = (देय धनराशि = कुल योग - पूर्व में दी गयी धनराशि)

यहाँ कुल योग है = 4,49,000.00

पूर्व में दी गयी धनराशि = 2000.00

अतः देय धनराशि 4,49,000.00- 2000.00 = 4,47,000.00

इस प्रकार दावा कर्ता X को रू 4,47,000/–की सहायता राशि दिये जानें की संस्तुति की जायेगी ।

7. कृपया उपरोक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(रेणुका कुमार)
सचिव,गृह।

संख्या:–1431 के(1)/छ:–सानिप्र–08–200(15)/2000 तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रतिकर अधिकारी/आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।

GO1934

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गाड फाइल।